

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पारपत्र) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए) 270 / 1999 / ए-1 / दो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 / 3 / 2019

✓ पुलिस अधीक्षक
जिला-बालाघाट
(म0प्र0)

- विषय:- निवासवृद्धि पाक नागरिको-श्री करमचंद पुत्र श्री काकूमल 2.रिंकी पुत्री श्री करमचंद
3. कमलदेव पुत्र श्री करनचंद निवासी जिला बालाघाट म.प्र.।
- संदर्भ:- आपका पत्र क0 / जिविशा / बाला. / एफआर / पाक / (590,588,587) 2018 दिनांक 107.
36.2018

—00—

उपरोक्त विषयाकितं पक नागरिक श्री करमचंद पुत्र श्री काकूमल 2.रिंकी पुत्री श्री करमचंद 3. कमलदेव पुत्र श्री करनचंद के दिनांक 13.12.2014 से 12.12.2016 तक निवासवृद्धि प्रस्ताव अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त अवधि के अपेक्षित निवासवृद्धि प्रस्ताव ऑन लाईन के माध्यम से विधि शाखा सुरक्षा भोपाल द्वारा यथशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि आगामी निवासवृद्धि प्रकरणों का निराकरण किय जा सके।



(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

क्रमांक एफ-3(ए) 270 / 1999 / ए-1 / दो
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / / 2019

1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक विधि शाखा (सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक जिशा / 15 / पाक / 2019-20 (565,568,570,) दिनांक 10.07.2018, के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. आवेदिका श्री करनचंद पुत्र श्री काकूमल निवासी वार्ड नं. 29 स्टेशन रोड जिला बालाघाट मध्य प्रदेश।
3. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर अप्पेसन वास्ते,

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग